

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री छीतरसिंह तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 48/2019 ता0 रजु. 07.08.2019 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 20.08.19

सरकार

बनाम

उदय पुत्र वसन्ता जाति जाटव निवासी खरैरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरैरी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरैरी के खसरा न0 3525 रकवा 0.05 हैक्ट में से रकवा 0.05 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर बाजरा बोकर सम्वत 2076 में श्री उदय पुत्र बसन्ता जाति जाटव निवासी खरैरी तह0 बयाना ने बाजरा बोकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 3525 रकवा 0.05 हैक्ट वाके ग्राम खरैरी से बेदखल किया जाता है। लगान 0.40 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 20 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हों। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20. 08.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का वाक नाम
श. जे. नं. 04 के पत्र नं. 18
दिनांक 19/8/19 का वर्ष 2018-20
बेकल्टी नं. 20 फसल नीलामी
को जा चुको है।

बहु प्रीत राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)